मॉयल लिमिटेड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी संबंधी अद्यतन जानकारी

मॉयल लिमिटेड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए कंपनी की ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत नियमित व्याप्ति जो दिनांक 01/04/2022 से 31/03/2023 तक प्रभावी है, के अतिरिक्त इसी पॉलिसी के अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारियों, उनके जीवनसाथी, शारीरिक/मानसिक अक्षम व पूर्णतः आश्रित पुत्र/पुत्री (जैसा मामला हो) को सुपर टॉप अप का लाभ दिया जाएगा। इसी के साथ, कंपनी की लागत पर उक्त अवधि के लिए कुल व्याप्ति अधोलिखित है–

क्र.	श्रेणी	बेसिक सम अश्योर्ड	सुपर टॉप अप	टोटल सम अश्योर्ड
01	सेवानिवृत्त पी.आर. कार्मिक/ NE 01 से NE 10 स्तर तक के गैर–कार्यकारी	रू. 1.50 लाख	रू. 2.00 लाख	रू. 3.50 लाख
02	सेवानिवृत्त कार्यकारी अधिकारी E00 से E05 के स्तर तक	रू. 3.00 लाख	रू. 3.00 लाख	रू. 6.00 लाख
03	सेवानिवृत्त कार्यकारी अधिकारी E06 से E09 के स्तर तक	रू. 4.50 लाख	रू. 5.00 लाख	रू. 9.50 लाख
04	सेवानिवृत्त सीएमडी और निदेशकगण	रू. 4.50 लाख	रू. 8.00 लाख	रू. 12.50 लाख

मॉयल निम्नलिखित शर्तों के साथ संपूर्ण प्रीमियम का भुगतान कर रहा है:

1) पिछले वार्षिक पंजीकरण के बदले में नवीकरण राशि रू. 100 (पीआरडब्ल्यू हेतु), रू. 200 (E-00 से E-07 तक) रू. 250 (E-08 व वरिष्ठगण) और एकमुश्त राशि के रूप में रू. Rs.2,000.00 (PRW व NE-01 से NE-10 के लिए), Rs.4,000.00 (E00 से E-05 के लिए), Rs.5,000.00 (E-06 से E-09 के लिए) और Rs.6,000.00 (सीएमडी व निदेशकगण के लिए) क्रमानुसार नवीकरण राशि RTS / NEFT द्वारा मॉयल लिमिटेड के पक्ष में देय है।

2) यदि पहले भुगतान नहीं किया गया है, तो यह राशि एकमुश्त में रू.2,000.00 / 4,000.00 / 5,000.00 / 6,000.00 (जैसा भी मामला हो) RTGS / NEFT द्वारा मॉयल लिमिटेड के पक्ष में तुरंत भुगतान करना आवश्यक है और इस संबंध का प्रमाण मॉयल लिमिटेड के नागपुर स्थित प्रधान कार्यालय के कार्मिक विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
   मॉयल लिमिटेड के बैंक खाते का विवरण निम्नानुसार है;
   जिसके पक्ष में देय : MOIL LIMITED
   बैंक का नाम: आईडीबीआई बैंक
   बैंक खाता संख्या: 041102000018027
   शाखा का नाम: सिविल लाइन, नागपुर
   MICR CODE: 440259002
   NEFT / RTGS IFSC CODE: IBKL0000041
   बैंक खाता का प्रकार: चालू खाता

3) इसके अलावा, प्रत्येक व्यक्ति हर साल 31 अगस्त तक स्वयं, जीवनसाथी, शारीरिक/मानसिक रूप से अक्षम व पूर्णतः आश्रित पुत्र/पुत्री (जैसा भी मामला हो) के संबंध में संलग्न प्रोफार्मा में या हार्डकॉपी या ईमेल के माध्यम से या व्हाट्सएप द्वारा मिलने पर लाइव–सर्टिफिकेट निम्नलिखित ई–मेल आयडी/मोबाइल नंबर पर जमा कराएंगे, ताकि अगले साल के लिए पॉलिसी को नवीनीकृत किया जा सके।
   ई–मेल आयडी : malewar@moil.nic.in / मोबाइल नंबर. 7028177774
   ई–मेल आयडी : poojavbbk@gmail.com / मोबाइल नंबर. 7758044441

4) यह इसलिए आवश्यक है कि कंपनी को प्रीमियम के अनावश्यक भुगतान से बचा जाय। आगे, अगर प्रीमियम प्राप्त नहीं होता है तो यह मान लिया जाएगा कि उस कर्मचारी, जीवनसाथी, शारीरिक/मानसिक रूप से अक्षम व पूर्णतः आश्रित पुत्र/पुत्री (जैसा भी मामला हो) की नीति के नवीनीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए, सभी बीमित व्यक्तियों से अनुरोध किया जाता है कि वे स्वयं के हित में विफल हुए बिना अपक्षाओं का पालन करें।
   योजना के लाभ के रूप में निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जाती हैं :
   1- प्रत्येक आँख के लिए मोतियाबिंद ऑपरेशन की खर्च सीमा रू. 35000.00
   2- प्रत्येक दाँत पर कैप लगाने सहित रूट–कैनाल की खर्च सीमा रू. 5000.00
   3- प्रति परिवार चश्मा की खर्च सीमा रू. 5000.00 (मोतियाबिंद ऑपरेशन होने पर)
   4- हर बार अस्पताल में भर्ती होने पर सर्विस चार्ज रू. 1000.00
   5- हर बार अस्पताल में भर्ती होने पर अस्पताल में उपयोग हेतु आपूर्ति की गई सामग्री हेतु खर्च सीमा रू. 10000.00
   6- शारीरिक रूप से अक्षम व पूर्णतः आश्रित पुत्र (त्रों) /पुत्री (याँ) (जैसा भी मामला हो) जो पूर्णतः आश्रित हैं वह भी इसकी व्याप्ति में हैं।
   7- मानसिक अक्षम पुत्र (त्रों) /पुत्री (याँ) जो किसी पूर्व कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित हैं वह भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह सभी शारीरिक व्याधाओं के निदान के लिए ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस के तहत व्याप्ति में है यद्यपि मानसिक मंदता या मनोरोग के उपचार के लिए कोई इलाज विशेष रूप से कवर नहीं है।

सभी से अनुरोध है कि योजना के विस्तृत विवरण के लिए, मॉयल कि वेबसाइट www.moil.nic.in पर जाएं:

उपरोक्त अवधि के लिए सेवा प्रदाता नेशनल इंश्योरेंस कंपनी हैं और जिसका पॉलिसी नंबर 281302502210000048 है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में संपर्क करने के लिए व्यक्ति हैं,
श्री राहुल बागड़े, शाखा प्रबंधक, स्थानीय शाखा है तथा मोबाइल नंबर 8411885992 है और जेनिंस इंडिया इंश्योरेंस टीपीए लिमिटेड हमारे थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर (TPA) है और नागपुर कार्यालय में संपर्क व्यक्ति श्री अश्विन इंगल मोबाइल नं. 9225239307 और श्री अजय मोबाइल नं. 9225239306 हैं।

हालाँकि, हम समय–समय पर अपने Genins India Insurance TPA Ltd के माध्यम से बीमित व्यक्तियों के ई–कार्ड प्रदान कर रहे हैं,हालाँकि, इन सेवानिव्रत व्यक्तियों द्वारा ई–कार्ड भी प्राप्त किए जा सकते हैं, आप अपने स्तर पर Genins India Insurance TPA Ltd. (http://www.geninsindia.com) वेबसाइट पर जाकर ई–कार्ड प्रिंट के विकल्पों का चयन कर सकते है ।
इलाज के पश्चात प्रतिपूर्ति दावा(reimbursement claim) हेतु निम्नानुसार दस्तावेज़ Genins India Insurance TPA Ltd को प्रेषित करना आवश्यक है :
1॰ प्रतिपूर्ति दावा प्रपत्र (reimbursement claim form)
2 दावा प्रस्तुत करने के लिए दावा सूची (check list)
3 अस्पताल के अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र Certificate to be obtained from hospital authority